



बिहार सरकार
परिवहन विभाग

राज्य परिवहन आयुक्त का कार्यालय, बिहार, पटना।

वाहन स्वामी कृपया ध्यान दें।

पत्रांक-04/STA-P3-232/2012(पार्ट) परि०- 6667

दिनांक-23/10/18

निदेशानुसार सर्वसाधारण को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि बिहार-झारखंड के विभिन्न मार्गों पर सुनवाई हेतु लंबित आवेदनों की सुनवाई दिनांक-24.10.2018 को निर्धारित थी, जिसे अपरिहार्य कारणों से अगले आदेश तक स्थगित किया जाता है।

उपर्युक्त बैठक आहूत करने की अगली तिथि की सूचना बाद में दी जायेगी।

स्थगित बैठक की सूचना विभागीय वेबसाइट-<http://transport.bih.nic.in> पर भी अपलोड की जा चुकी है।

उप सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।